## CABINET SECRETARIAT

## Department of Personnel

New Delhi, the 3rd August, 1972

S.O. 2789.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, nemely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1972.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), in "Part II, Central Civil Services, Class II (Except for Civilians in Delence Services)"—

1	2	3	4		5
CT3	ral Secreta- Stenograph- Service Selec-	President	President In respect of a member of the Service serving in:—	A	11
			(a) a Ministry or De- partment of the Govern- ment participating in the Service, other than a Ministry or Department hereinatter specified—	Sccretary, Ca- (i dre Authority	i) to (iv)
			(b) a Ministry or De- partment of the Govern- ment not participating in the Service—	Ministry or De-	i) to (iv)
			(c) an attached office whether participating or not participating in the Service:—		
			(i) if such office is under the control of a Head of the Department directly under Govern- ment—	partment	i) to (iv)
		(ii) in other cases—  (d) a non-Secretariat Office other than an office hereinafter speci- fied:—	Secretary, Ca- (i	i) to (iv)	
			(i) if such office is under the control of a Head of the Department directly under Govern- ment—		i) to (iv)

	2	3	4	5
			(ii) in other cases—	Secretary, Ca- (i) to (iv) dre Authority
			(c) Ministry of Finance (Defence Division)	Financial Advi- (i) to (iv) ser, Defence Division
			(f) Office of the Union Public Service Commis- sion.	Secretary, Union (i) to (iv)."; Public Service Commission
	nst serial No. 7, in colucly:—	lumns 4 and 5, for the	existing entries, the following	ng entries shall respectively be substi
			4	5
			"Posts and Telegraphs Board Head of Circle";	"All (i) to (iv).";
(iii) agair nam	nst serial No. 8, in co nely:—	lumns 4 and 5 for the	existing entries, the following	ng entries shall respectively be substitu
			4	5
-			"Posts and Telegraphs Board Head of Circle.";	"All (i) to (iv)";
(iv) agai	inst serial No. 11, in	column 3, for the exis-		try shall be substituted, namely:
		3		
		"Posts and Tele- graphs Board";		
(v) agai nan	inst serial No. 23, in nely:—	columns 4 and 5, belo	w the existing entries, the	following entries shall respectively be i
			4	5
			"Chief Engineer (Vigi- lance), Central Public Works Department.";	(i) to (iv)";
"(v	Posts in the Ganga Basin Water Re- sources Organi- sation.";		2, for the existing entry the	following entry shall be substituted, nar
(vii) for	serial No. 26 and the	entries relating thereto	, the following serial No. and	d entries shall be substituted, namely:-
ī	2	3	4	5
"26.	Indian Salt Service	Joint Secretary, De- partment of Indus- trial Development.	Joint Secretary, Department of Industrial Development Salt Commissioner	All (i) to (iv).";
				Except for Civilians in Defence Service lowing entry shall be substituted, name
				•

ı		2	3	4		5	6
	Central riat phers Grade	Secreta- Stenogra- Service	Deputy Secretary or Director, Cadre Authority.	Deputy Secretary or Director, Cadre Authority. In respect of a member of the Service serving		All	Secretary, Cadre Authority.
				in:— (a) a Department/Office other than those speci- fied below and other than the Cadre Autho- rity, where the Head of the Office is of a rank not below that of De- puty Secretary or Direc- tor (Junior Administra- tive Grade).	Head of the Office.	(i) to (iv)	Secretary, Cadre Authority
				(b) Ministry of Finance (Defence Division).	Deputy Finan- cial Adviser.	(i) to (iv)	Financial Adviser (Defence Division).
				(c) Prime Minister's Secretariat.	Deputy Secre- tary or an officer of the rank of Deputy Secre-	(i) to (iv)	Secretary to the Prime Mi- nister.
				(d) Directorate General of Posts and Telegraphs.	sccretary, Posts and Telegraphs Board.	(i) to (iv)	Member (Administration), (Posts and Telegraphs Board.
				(e) Office of the Inspector General, Delhi Special Police Establishment.	Deputy Inspector General,	(i) to (iv)	Inspector General.
				(f) Office of Engineer-in- Chief, Central Public Works Department.	Director of Administration.	(i) to (iv)	Engineer-in- Chief.
				(g) Directorate General of Supplies and Disposals.	Dir cctor (Ad- ministration).	(i) to (iv)	Director General, Supplies and Disposal
				(h) Central Water and Power Commission.	Secretary, Central Water and Power Commission.	(i) to (iv)	Chairman, Contral Water and Power Commission.".
4. In the So ainst serial No. 1	chedule to	the said recm (ii) and	iles, n "Part IV—Cen the entries relating the	tral Civil Services, Class I' reto, the following item and	V (Except for Civi	lians in Denserted, nar	fence Services)
		2	3	4		5	6
"(iii)	Posts i Territo		Head of Office or such other autho- rity as may be speci- fled by the Admi- nistrator.	Head of Office or such other authority as may be specified by the Administrator.		A11	Al ninistrator or such authority as may be specified by the Administrator; where the order is that of Administrator, the President.".

[No. 7/3/68-Estt(A)]

P. S. VENKATESWARAN, Under Sccy.

## मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 3 भ्रगस्त, 1972

का॰ भा॰ 2789.—संविधान के श्रनुच्छेद 369 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण श्रीर श्रपील) नियम. 1965 में ग्रीर संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयात :—-

- 1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण भीर श्रपील) तृतीय संशोधन नियम, 1972 होगा:
- (2) यह नियम राजपत्न में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंं ।

की अनुस्	<b>ूची</b> में, ''भाग 2, केन्द्रीय सिवि	रण, नियंत्रण ग्रौर श्रपील) नियम. 1965 में ल सेवा, वर्ग 2 (रक्षा सेवा में के मिविललियन धेत प्रविष्टियों के पण्चात, निम्नलिखित श्रन्तः स	ों के सिवाय)'' में,—	
1	2	3	4	5
′′ <b>?</b> – क	केन्द्रीय मचिवालय श्राणु- लिपिक सेवा चयन श्रेणी	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	सभी
	MITTER WITH THE TEXT	सेवा के उस मदस्य के सम्बन्ध में, जो—— (क) इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट किसी मंत्रालय या विभाग से भिन्न, सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो ——	सचिव काडर प्राधिकारी	(i) से (iv)
		(ख) सेवा में भाग न लेने वाते किसी मंद मंत्रालय या विभाग में सेवा कर रहा हो –	त्रालय या विभाग के सचिव	(i) ң (iv)
		(ग) किसी संलग्न कार्यालय में मेवा कर रहा हो, चाहे वह चेवा में भाग खेता हो या नहीं :		
		<ul> <li>(i) यदि ऐसा कार्यालय ऐसे विभागा- वि ध्यक्ष के नियंत्रण में हो जो सीधे मरकार के ग्राधीन है:—-</li> </ul>	भागाध्यक्ष	(i) से (iv)
		(प्र) इसमें इसके परचात विनिदिष्ट किसी कार्यात्रय से भिन्न किसी ग्रननुगनि-	चिव, काडर प्राधिकारी	(i) 社 (iv)
		बीय कार्यालय में सेवा कर रहा हो :— (i) यदि ऐसा कार्यालय ऐसे विभागा- वि ध्यक्ष के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के ध्रधीन हैं ——	भागाष्ट्रयक्ष	(i) 社 (iv)
		(ii) ग्रन्य मामलों में सर्व	चव, काडर प्राधिकारी	(i) 褚 (iv)
		(ঙo) वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग) ি	वेत सलाहकार रक्षा प्रभाग	(i) 社 (iV)
		(घ) संघ लोक सेवा ग्रायोग का सर् कार्यालय	चेब, संघ लोक सेवा ग्रायोग	(i) से (iV)
		नंभ 4 भौर 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान	पर, ऋमशः निम्नलिखित प्र	विष्टियां प्रतिस्थापित की
जाएंगी,	<b>धर्या</b> त :—	4		5
		"डाक- <b>तार बोर्ड</b> सकिल का प्रघान" <b>;</b>		"समी (i) से (iV)";
	(iii) कम सं० 8 के तामने, एंगी, अर्थात :	स्तमः ४ ग्रीर 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स	यान पर, <mark>क्रमशः</mark> निम्नेलि	बत प्रविष्टिया प्रातिस्थःपिस
711 711	2 man	4		5
		 'क्ट्राक्ट जान नोने सफिल का प्रशास ।'' :		—— "सभी (i) से (i∇)":

(iV) कम सं॰ 11 के सामने, स्तमं अहुँसं, विव्यमान प्रविध्य के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविध्य प्रतिस्थापित की जाएगी, श्रयति :-

"डाक~ नार बोर्ड" ;

(v) अप सं ॰ 23 के सामने, स्तंस 4 प्रौर 5 में, विद्यमान प्रोक्षित्या के नीचे, अपगः निम्मलिखित अन्तः स्थापित किया जायगा, श्रर्थात :---5

4

"<sub>नु</sub>क्य इंजीनियर (सनर्कता) केन्द्रीय लोक निर्पाण विभाग।";

"(i) 社 (iV)";

(vi) कम सं॰ 24 के मामने, मद (v) के सामने, स्तंभ 2 में, विज्यमान प्रविद्धि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविद्धि प्रतिस्थापित की जाएगी, ग्रर्थात :---

"(V) गंगा मैसित जल सीच संगठन के पद।";

(Vii) कम सं० 26 ग्रीर उसमे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्तिरिखित कम सं० ग्रीर प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, प्रथति :--

5 1

"26 भारतीय नमक सेवा मं गुक्त सचिव, ग्रेंगौद्यीगिक विकास विभाग ें संगुक्त सविव, श्रोद्यौगिक विकास विभाग

नमक भ्रायुक्त

(i) 祖 (iV) 亡;

3- उक्त नियमों की प्रतुसूचो में, "भाग 3-केन्द्रीय मिविल सेवा, वर्ग 3 (रक्षा सेवाग्रों में के मिविलयनों के मिवाय)" में, →

🤃 ऋम सं० 1 की प्रविष्टि (ग) के सामने, स्तमं 6 में, किर्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निस्तलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित को जाएगी 6 प्रयति :---

> सचिव प्रधान का

(ji) कम सं 1 ग्रीर उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित ग्रन्तः स्थापित किया जायगा, प्रयात :---

1	2	3	4	5		6
"1一币	केन्द्रीय सचिवालय श्रागुलिपिक सेवा श्रेणी 3		उपयचिव या निदेशक, काडर हैं मदस्य के सम्बन्ध में जो,:-		ममी	मिच्य, काडर, ंूप्राबिकारी
			(क) नीन विनिर्दिष्ट विभागों/ कार्यालयों देने भिन्न रें ग्रीर काडर प्राधिकारी ने भिन्न किसी ऐसे विभाग/कार्यालय में सेवा कर रहा हो, जहां कार्यालय का प्रधान उस पंक्ति का हो जो उप-सचिव या निदेशक (कनिष्ठ प्रशास- निक श्रेणी) की पंक्ति से कम नहीं है।	कार्यालय का प्रश्वान	(¡) ∄ (¡v)	मचिव, काडर, प्राधिकारी

पी० एम० वेंक्टेश्वरन, ग्रवर सचिव।

1 2	3	4	5	6
	(ष) वित्त मंत्रा प्रभाग) :	ालय (रक्षा उप वित-सलाह- कार	(i) से (iV)	विस सलाहकार (रक्षा प्रभाग)
	,	त्री सचिवालय। उप-सचिव या उ सचिव की पंशि का श्रधिकार्र	न्स	प्रधान मंत्री के स <del>चि</del> व
	(घ) <b>डा</b> क-तार गालय	महा निदे- सचिव, डाक-सार वोर्ड	(i) ң (iV)	सदस्य (प्रशासन) डाक-सार बोर्ड
	(ङ) महा नि	रीक्षक का उप महानिरीक्षक ल्ली विणेष	रु (i) मे (iv)	महा निरीक्षक
	(च) प्रमुख	इंजीनियर का प्रशासन निदेश केन्द्रीय लोक	क (i) सं(iv)	प्रमुख इंजीनिय
	(छ) पूर्ति श्री निदेशालय (ज) केन्द्रीय विद्युत श्रायोग	जल श्रोर सचिव, केन्द्रीय	प्तन) (¡) से (¡v) `जल (¡) से (¡v) ⊺योग	पूर्ति ग्रोर व्ययः महा निदेशक अध्यक्ष, केन्द्री जल ग्रौर विख् ग्रायोग"।
<ol> <li>उक्त नियमों की श्रनुसूची "</li> <li>(;;) श्रीर उसमें सम्बन्धि</li> </ol>	′भाग 4–केन्द्रीय मिवल सेवा, वर्ग त प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिख्	4 (रक्षा सेवाघ्रों के मिविलय बन मद ग्रीर प्रविष्टियां ग्रन्तः	नों के सिवाय में, क्रम स्थापित की जायेंगी,	ासं० 1 के सामने, म प्रथति :
(II) संघ राज्यक्षेत्रों के प	_	कार्यालय का प्रधान या ऐपा श्वन्य प्राधिकारी जो प्रशा- सक द्वारा विनिधिष्ट किया जाए।	मसी प्रशास जो दिं ग्राह	तक या ऐसा प्राधिकार प्रशासक द्वारा विनि ष्ट किया जाए, जह देश प्रशासक का ह गंराष्ट्रपति''।